

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 421 /11-सी-FP/UP/Road/49626/2020, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 02, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रुड़ैता-पीलीभीत सैक्शन के 731 K किमी० 137.250 से किमी० 183.380 (पैकेज- VI) के निर्माण कार्य में प्रभावित 44.376 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 26427 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Road/49626/2020)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/२९/२०२२/एफ०सी०/१२०, दिनांक-13.06.2022
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत ने अपने पत्रांक-29/14-1 दिनांक 09.07.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



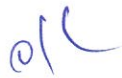
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 421 /11-सी-FP/UP/Road/49626/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- परियोजना निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, शाहजहाँपुर।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।